प्रेस नोट

दिनांक 27.04.2025

थाना जरिया पुलिस द्वारा हत्या का वांछित बाल अपचारी पुलिस निगरानी में -

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देशन में वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जरिया पर पंजीकृत मु0अ0स0 49/2025, धारा 103(1)/137(2)/311) बीएनएस से सम्बन्धित, विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए वांछित बाल अपचारी (उम्र करीब 15 वर्ष) को थाना जरिया पुलिस द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। विवेचना के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आयेंगें के अनुरूप आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 06.04.2025 को रात्रि करीब 10:00 बजे थाना जरिया पुलिस को सूचना मिली कि आशीष पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी ग्राम कछवाकलां थाना जरिया जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 12 वर्ष), जवारा विसर्जन में अपनी साइकिल से गांव के ही रौखर तालाब आया था, जवारा विसर्जन समापन के बाद घर वापस नहीं पहुंचा। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 49/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। तथा पुलिस टीम द्वारा आशीष उपरोक्त की खोजबीन शुरू कर दी गई। दिनांक 07.04.2025 को गांव के किनारे रामाधार पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम कछवाकलां थाना जरिया के पुराने मकान जो खाली पड़ा है के पीछे सूखे कुंआ में शव बरामद हुआ।आवेदक व आवेदक के पारिवारिक जनों द्वारा उपरोक्त शव की आशीष के रूप में शिनाख्त हुई।

पुलिस टीम

01. थानाध्यक्ष मयंक चंदेल
02. उ0नि0 बीरेन्द्र प्रसाद
03. मु0आ0 शिवेन्द्र सिंह
04. आ0 कपिल कुंतल
05. आ0 अभिनव प्रताप
06. आ0 आशीष कुमार